संस्कृति संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल

(योजना क्र. 1) अर्थाभावग्रस्त लेखकों, कलाकारों और उनके आश्रितों को वित्तीय सहायता की योजना

उद्‌देश्य	ऐसे व्यक्तियों को जिन्होंने कला और साहित्य के विकास में योगदान दिया है किन्तु अर्थाभावग्रस्त हैं और ऐसे लेखकों तथा कलाकारों के आश्रिताओं को, जो अपने परिवारों को असहाय छोड़ गये हैं, मासिक वित्तीय सहायता पहुंचाना।
योजना का स्वरूप और कार्यक्षेत्र	इस योजना में मध्यप्रदेश के मूल निवासी 60 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे व्यक्ति जिनका कला अथवा साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हो, परम्परागत विद्वान अथवा ऐसे व्यक्तियों, की मृत्यु हो जाने पर उनकी विधवा पत्नी, नाबालिग बच्चे तथा विशेष परिस्थितियों में आश्रित वृद्ध माता–पिता, नाबालिग भाई–बहन को वित्तीय सहायता दी जाती है। वित्तीय सहायता की राशि 800/– (न्यूनतम) रूपये से 1500/– रूपये अधिकतम प्रतिमाह होगी। जिसका भुगतान संबंधित जिला कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कार्यालय अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा किया जाता है।
पात्र हितग्राही	मध्यप्रदेश के मूल निवासी जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक हो अथवा उनके आश्रित। आवेदक के समस्त साधनों से होने वाली मासिक आय अकेले व्यक्ति के लिए 1500/– रूपये, दो सदस्यीय परिवार के लिए 2000/– रूपये तथा तीन या अधिक सदस्यीय परिवार के लिए 3000/– रूपये से अधिक न हो।
हितग्राही का चयन	जिला कलेक्टर अपने जिले के प्राप्त आवेदन–पत्रों पर जिला स्तरीय समिति में विचार कर अपनी अनुशंसाएँ संचालक, संस्कृति संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल को भेजेंगे, जिन पर सहायता स्वीकृति हेतु गठित क्रियान्वयन तथा कार्यकारी समिति द्वारा निर्णय लिया जाता है। विशेष मामलों में शासन भी आवश्यक जांच के बाद स्वयं निर्णय ले सकता है।
योजना क्रियान्वयन की प्रक्रिया	आवेदक को निर्धारित प्रपत्र में अपने जिले के कलेक्टर को आवेदन–पत्र प्रस्तुत करना होगा। संबंधित कलेक्टर अपनी अध्यक्षता में गठित समिति में प्रकरणों की छानबीन कर आवेदन–पत्रों सहित अपना स्पष्ट अभिमत संचालक, संस्कृति संचालनालय को भेजेंगे जो स्वयं की अध्यक्षता में गठित कार्यकारी समिति में विचार कर सहायता राशि स्वीकृत या सहायता राशि में वृद्धि स्वीकृत करने का निर्णय लेंगे।
योजना क्रियान्वयन में आने वाली बाधाएं	आवेदक द्वारा पूर्ण जानकारी प्रस्तुत न करना अथवा कलेक्टर का स्पष्ट अभिमत प्राप्त न होना।
सम्पर्क	योजना की विस्तृत जानकारी जिले में कलेक्टर और प्रदेश स्तर पर संचालक, संस्कृति संचालनालय, मध्यप्रदेश शासन से प्राप्त की जा सकती है।
आवेदन का प्रारूप	प्रारूप संलग्न है। (परिशिष्ट–क)

परिशिष्ट–तीन
(नियम 10)

साहित्य और कला के क्षेत्र में प्रतिष्ठित ऐसे व्यक्तियों को, जो कि अर्थाभावग्रस्त हो, या उनके आश्रितों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता के लिये आवेदन–पत्र का निर्धारित प्रारूप

1. पूरा नाम और पता ....

2. स्थानीय निवास ....

3. जन्म तारीख ....

4. स्वयं की वर्तमान आय और अन्य साधन, यदि कोई हो ....

5. आवेदक पर पूर्णतया आश्रित परिवार के सदस्यों की संख्या ....

   उनसे संबंध, उम्र, व्यवसाय और आय के साधन के ब्यौरे –

नाम	**आयु**	**संबंध**	**व्यवसाय**	**आय और आय के साधन**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

6. स्वयं की पत्नी/पति, बच्चों या आश्रितों के नाम ....
   पर अचल संपत्ति, कहा स्थित है, उसका क्षेत्रफल ....
   और मूल्या तथा उससे होने वाली आय। ....

7. स्वयं की, आश्रितों की तथा अचल सम्पत्ति से होने ....
वाली कुल आय (क्र. 4, 5 तथा 6 का योग) ....

8. लेखक या कलाकार द्वारा साहित्य अथवा परम्परागत ....
कला के क्षेत्र में किये गये महत्वपूर्ण कार्यों का विवरण ....

9. लेखक या कलाकार को शासन या किसी प्रमुख ....
साहित्यिक अथवा कला संस्था से प्राप्त किसी ....
मान्यता या सम्मान के ब्यौरे ....

10. अन्य संगत जानकारी, यदि कोई हो ....

11. कलेक्टर की अनुशंसा (संलग्न निर्धारित प्रारूप में) ....
(परिशिष्ट 'क' अनुसार)

आवेदक के हस्ताक्षर

टीप : 1. प्रत्येक कालम में जानकारी स्पष्ट तथा पूर्ण दी जानी चाहिये। लेखकों के आवेदन–पत्रों के साथ उनकी कृतियों की प्रतियां, यदि उपलब्ध हो, अनिवार्य रूप से संलग्न की जानी चाहिये।

2. आवेदन–पत्र के कालम में 1 से 7 की जानकारी शपथ पत्र में प्रस्तुत की जाये।

संस्कृति संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल

(योजना क्र. 2) मध्यप्रदेश कलाकार कल्याण कोष से सहायता की योजना

<u>योजना</u>

उद्देश्य	राज्य के साहित्यकारों/कलाकारों अथवा उनके परिवार के सदस्यों की लम्बी तथा गंभीर बीमारी, दुर्घटना, मृत्यु अथवा दैवीय विपत्ति की स्थिति में आर्थिक सहायता देना।
योजना का स्वरूप और कार्यक्षेत्र	योजना का संचालन शासन से प्राप्त बजट अनुदान राशि से होता है। रूपये 500 से लेकर रूपये 5000 रूपये तक की उपचार हेतु सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान है।
पात्र हितग्राही	मध्यप्रदेश के मूल निवासी ऐसे व्यक्ति जिनका कला अथवा साहित्य के क्षेत्र में योगदान हो तथा जो शासकीय कर्मचारी या स्वायत्तशासी/अर्धशासकीय संस्थाओं के कर्मचारी न हों।
हितग्राही का चयन और योजना क्रियान्वयन की प्रक्रिया	निर्धारित प्रपत्र संचालक, संस्कृति संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल को प्राप्त आवेदन–पत्रों पर संचालक, संस्कृति की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा सहायता का निर्णय लिया जाता है। विशेष मामलों में आवश्यक जांच के बाद शासन भी निर्णय ले सकेगा। तात्कालिक आवश्यकता होने पर संस्कृति मंत्री की समिति के अनुमोदन की प्रत्याशा में सहायता स्वीकृति करने का अधिकार है।
आवेदन का प्रारूप	प्रारूप संलग्न है। (परिशिष्ट–एक)

परिशिष्ट–'एक'

मध्यप्रदेश कलाकार कल्याण कोष से सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदन–पत्र का फार्म

1. आवेदक का पूरा नाम ....
2. आवेदक के पिता/पति का नाम ....
3. आवेदक का पता ....
4. आवेदक की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय ....
5. आवेदक पर पूर्णतया आश्रित परिवार के सदस्यों की संख्या ....

क्र.	नाम	आयु	संबंध	आय और आय के साधन

6. शासकीय/स्वायत्तशासी/अर्धशासकीय संस्थाओं में सेवारत् हैं/ रहें हो तो विवरण/ सहित जानकारी। ....
7. मध्यप्रदेश के मूल निवासी का प्रमाण–पत्र अथवा शपथ–पत्र (संलग्न करें)। ....
8. स्वयं पति/पत्नी अथवा परिवार के आश्रित सदस्यों के नाम यदि कोई अचल सम्पत्ति हो तो उनके ब्यौरे और उससे होने वाली आय। ....
9. साहित्य/कला के क्षेत्र में किया गया उल्लेखनीय कार्य। (प्रामाणिक जानकारी/दस्तावेज की प्रतियां संलग्न करें) ....
10. प्रयोजन जिसके लिये सहायता अपेक्षित है। (बीमारी के मामले में चिकित्सक का चिकित्सा प्रमाण–पत्र संलग्न करें) ....
11. यदि अन्य किसी स्रोत से सहायता मिली हो तो उसकी जानकारी। ....
12. अन्य संगत जानकारी। ....

स्थान ....

दिनांक .... हस्ताक्षर ....

(आवेदक का पूरा नाम तथा पता)

टीप – प्रत्येक कालम में जानकारी पूर्ण तथा स्पष्ट दी जानी चाहिये।

1. मध्यप्रदेश के वास्तविक निवासी होने का प्रमाण–पत्र अथवा शपथ–पत्र अवश्य संलग्न करें।
2. बीमारी/दुर्घटना की स्थिति में सहायता प्राप्त करने के लिए अधिकृत चिकित्सक का प्रमाण–पत्र भी संलग्न किया जाये।

संस्कृति संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल

योजना क्रमांक–3 प्रतिभा प्रोत्साहन (विकलांगों हेतु) योजना 2010–11

योजना का उद्देश्य

ऐसे विकलांग व्यक्तियों को जिन्होंने कला और साहित्य के विकास में योगदान दिया है, किन्तु असहाय हैं या ऐसे व्यक्तियों को प्रतिभा प्रोत्साहन योजनांतर्गत उन्हें वित्तीय सहायता पहुँचाना।

योजना का स्वरूप और कार्य क्षेत्र

प्रतिभा प्रोत्साहन योजना में मध्यप्रदेश के मूल निवासी जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे विकलांग/असहाय व्यक्ति जिनका कला अथवा साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हो, परम्परागत् विद्वान अथवा ऐसे किसी व्यक्ति की आयु की मृत्यु हो जाने पर उनकी विधवा पत्नी, नाबालिग बच्चे तथा विशेष परिस्थितियों में आश्रित वृद्ध माता–पिता, अवयस्क भाई–बहन को एकमुश्त वित्तीय, सहायता दी जाती है। वित्तीय सहायता की राशि अधिकतम रूपये 25000/– तक दी जा सकेगी। जिसका भुगतान संचालक, संस्कृति द्वारा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से किया जायेगा।

पात्रता

मध्यप्रदेश के मूल निवासी कला/साहित्य तथा परम्परागत विधाओं से जुड़े विकलांग जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो अथवा उनके आश्रित/आवेदक की समस्त साधनों से होने वाली मासिक आय अकेले व्यक्ति के लिए 1500/– दो सदस्यीय परिवार के लिए रूपये 4000/– तथा तीन या अधिक सदस्यीय परिवार के लिए रूपये 5000/– से अधिक न हो, पात्र होंगे।

हितग्राही का चयन

जिला कलेक्टर अपने जिले में प्राप्त आवेदन–पत्रों पर जिला स्तरीय समिति विचार कर अपनी अनुशंसाएं संलग्न प्रारूप में संचालक, संस्कृति संचालनालय मध्यप्रदेश, भोपाल को भेजेंगे। जिन पर सहायता स्वीकृति के लिए संचालनालय स्तर पर गठित कार्यकारी समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा। विशेष मामलों में शासन भी आवश्यक परीक्षणोपरान्त स्वयं निर्णय ले सकता है।

निरन्तर....2

योजना के क्रियान्वयन की प्रक्रिया

आवेदक को निर्धारित प्रपत्र में अपने जिले के कलेक्टर को आवेदन–पत्र प्रस्तुत करना होगा। संबंधित कलेक्टर अपनी अध्यक्षता में गठित समिति में प्रकरणों की छानबीन कर आवेदन–पत्रों सहित अपना स्पष्ट अभिमत (अनुशंसा) संचालक, संस्कृति संचालनालय, म.प्र. भोपाल को भेजेंगे। जहां संचालक, संस्कृति स्वयं की अध्यक्षता में गठित कार्यकारी समिति में विचार कर एकमुश्त सहायता राशि स्वीकृत या स्वीकृति सहायता राशि में वृद्धि करने का निर्णय करेंगे।

योजना का प्रसार

उक्त योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार करने हेतु प्रादेशिक स्तर पर दैनिक समाचार–पत्रों के माध्यम से विज्ञापन दिया जायेगा। आवेदन शीघ्रातीशीघ्र संस्कृति संचालनालय, भोपाल में प्राप्त हो जाना चाहिये ताकि वित्तीय वर्ष के अंदर उनका परीक्षण कर योजना का लाभ उसी वित्तीय वर्ष में दिया जा सके।

योजना क्रियान्वयन में आने वाली बाधाएं

आवेदकों द्वारा विहित प्रक्रिया अनुसार पूर्ण जानकारी का प्रस्तुत न किया जाना तथा कलेक्टर का स्पष्ट (अनुशंसा) का प्राप्त न होना।

सम्पर्क

योजना की विस्तृत जानकारी आवेदक अपने जिले के कलेक्टर और प्रदेश स्तर पर संचालक, संस्कृति संचालनालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल परिसर, शिवाजी नगर, भोपाल म.प्र. से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही संस्कृति विभाग की वेबसाइट www.mpculture.in पर भी जानकारी उपलब्ध होगी।

आवेदक का छाया चित्र नवीनतम

परिशिष्ट–तीन
(नियम 10)

साहित्य और कला के क्षेत्र में प्रतिष्ठित ऐसे व्यक्तियों को, जो कि निर्धन विकलांग हो, या उनके आश्रितों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता के लिये आवेदन–पत्र

1. पूरा नाम और पता ....

2. स्थानीय निवास ....

3. जन्म तारीख ....

4. स्वयं की वर्तमान आय और अन्य साधन यदि कोई हो ....

5. आवेदक पर पूर्णतया आश्रित परिवार के सदस्यों की संख्या ....

   उनसे संबंध, उम्र, व्यवसाय और आय के साधन के ब्यौरे –

नाम	आयु	संबंध	व्यवसाय	आय और आय के साधन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

6. स्वयं की पत्नी/पति, बच्चों या आश्रितों के नाम ....
   पर अचल संपत्ति, कहा स्थित है, उसका क्षेत्रफल ....
   और मूल्या तथा उससे होने वाली आय। ....

7. स्वयं की, आश्रितों की तथा अचल सम्पत्ति से होने ....
वाली कुल आय (क्र. 4, 5 तथा 6 का योग) ....

8. लेखक या कलाकार द्वारा साहित्य अथवा परम्परागत ....
कला के क्षेत्र में किये गये महत्वपूर्ण कार्यों का विवरण ....

9. लेखक या कलाकार को शासन या किसी प्रमुख ....
साहित्यिक अथवा कला संस्था से प्राप्त किसी ....
मान्यता या सम्मान के ब्यौरे ....

10. अन्य संगत जानकारी, यदि कोई हो ....

11. 11. कलेक्टर की अनुशंसा (संलग्न निर्धारित प्रारूप में) ....
(परिशिष्ट 'क' अनुसार)

आवेदक के हस्ताक्षर

टीप : 1. प्रत्येक कालम में जानकारी स्पष्ट तथा पूर्ण दी जानी चाहिये। लेखकों के आवेदन–पत्रों के साथ उनकी कृतियों की प्रतियां, यदि उपलब्ध हो, अनिवार्य रूप से संलग्न की जानी चाहिये।

2. आवेदन–पत्र के कालम में 1 से 7 की जानकारी शपथ पत्र में प्रस्तुत की जाये।

परिशिष्ट—'क'

प्रतिभा प्रोत्साहन योजना (विकलांगों हेतु) के अंतर्गत मिलने वाली आर्थिक सहायता के लिए अनुशंसा का प्रारूप

श्री / श्रीमती / कुमारी .... आत्मज / पत्नि / आत्मजा .... उम्र................ जो कि जिले के ग्राम / वार्ड ....के निवासी हैं तथा शारीरिक / मानसिक रूप से विकलांग हैं। श्री .... एक प्रतिभा सम्पन्न साहित्यकार / कलाकार हैं, ऐसे विकलांग प्रतिभा सम्पन्न साहित्यकार / कलाकार को ''प्रतिभा प्रोत्साहन योजना क्र. 3'' के तहत आर्थिक सहायता की अनुशंसा की जाती है।

कलेक्टर

जिला ....

म.प्र.

प्रति,

संचालक
संस्कृति संचालनालय, म.प्र.
माध्यमिक शिक्षा मण्डल परिसर
प्रथम तल शिवाजी नगर,
भोपाल (म.प्र) — 462011